रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 15 अक्तूबर, 2004/23 आश्विन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 1 अक्तूबर, 2004

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 64/2000-14252-257.—यह कि उपायुक्त कुल्लू द्वारा आपको प्रधान, ग्राम पंचायत भलाण-I, विकास खण्ड कुल्लू के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग व अनियमितताओं में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच० (कु०)-195-200, दिनांक 30-1-2004 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत भलाण-I के पद से निलम्बित किया गया था ।

यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू, जिला कुल्लू को उपायुक्त कुल्लू द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच० (कु०)-760-67, दिनांक 24-4-2004 को सौंपी गई थी ।

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप आपके विरुद्ध पाये गये उनकी सूची इस कारण बताओ नोटिस के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न की जाती है ।

2146-राजपत्र/2004-15-10-2004—1,421. मूल्य : 1 रुपया ।

आप द्वारा बरती गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजन कार्यकलाप के फलस्वरूप आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1 के अन्तर्गत आपको निष्कासित करने की कार्रवाई करना प्रस्तावित है ।

अतः आगामी कार्रवाई करने से पूर्व आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । आपका उत्तर निर्धारित अवधि प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहते तथा एकतरफा कार्यवाह अमल में लाकर मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्ग कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू द्वारा की ग जांच रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत भलाण-I की अवधि 4/2001 से 3/2002 तक करवाए गए अंकेक्षण रिपो की छायाप्रति संलग्न है ।

अनुलग्नक जांच रिपोर्ट ।

परिशिष्ट-'ब

श्री धर्मपाल, प्रधान (नि0) ग्राम पंचायत भलाण-I द्वारा किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा :—

क्रम सं0	निर्माण कार्य का नाम अथवा प्रयोजन	प्रधान द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि	कार्य की प्रगति अथवा स्थिति
1	2	3	4
1.	निर्माण राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढलान ।	मु0 40,240/- रु0	धनराशि को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखन व कार्य न करना ।
2.	(क) राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोडा-आगे ।	मु0 8,600/- रु0	दिनांक 30-3-2001 को मुबलिग 25,000/- रु की धनराशि चैक संख्या 843163 द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक, गड़सा की शाखा से निकाल कर
	(ख) राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढलान ।	मु0 6,400/- रु0	दिनांक 1-6-2004 तक अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना व कार्य न करना ।
	कुल	25,000/- रु0	
2.	निर्माण रास्ता गांव बड़ा शरण	मु0 30,000/- रु0	पंजाब नैशनल बैंक, ढालपुर कुल्लू से दिनांक 6-6-2003 को मुबलिग 15,000/- निकाल कर दिनांक 10-12-2003 को कार्य का प्रस्ताव पारित करना तथा दिनांक 7-1-2004 को दुबारा बैंक से मुबलिग 15,000/- रु0 निकाल कर कुल मु0 30,000/- रु0 की धनराशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना व कार्य न करना ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : धर्मशाला

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
1	2	3		
पेहड़	301/1	0	03	15
	302/1	0	00	18
	304/1	0	00	14
	305/1	0	00	09
	601/306/1	0	04	25
	360/1	0	01	85
	357/1	0	00	39
	358/1	0	00	30
कित्ता ..	8	0	10	35

शिमला-2, 27 सितम्बर, 2004

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी) ए (7) 1-67/2004.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फाटी बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में फुट ब्रिज दत्त नगर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5(2)(ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

3. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, रामपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

1	2	3	4
4.	निर्माण प्राथमिक पाठशाला भवन गडसा :		
	(1) 300 कि0 ग्रा0, 315 कि0 ग्रा0 चावल ।	मु0 2100/- रु0	मु0 12,248.50 पैसे की धनराशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखकर छलहरण किया ।
	(2) निर्माण प्राथमिक पाठशाला भवन गडसा ।	मु0 2205/- रु0	
	(3) 430 कि0 ग्रा0 बाबत चक्का तलाई धारा ।	मु0 3010/- रु0	
	(4) 715 कि0 ग्रा0 चावल बाबत चक्का तलाई माहुन ।	मु0 4993.50 रु0	
	कुल ..	12,248.50 रु0	
5.	1. प्राथमिक पाठशाला गडसा	मु0 65/- रु0	अंकेक्षण पत्र अवधि 4/2001 से 3/2002 के पैरा संख्या 5 (ख) (4,8,911) अनुसार विभिन्न विकास कार्यों में प्रयोग किये गये मस्ट्रोलों पर एक ही व्यक्ति की हाजरी एक ही समय में दो मस्ट्रोलों पर लगातार मु0 5032/- रु0 का छलहरण किया ।
	2. प्राथमिक पाठशाला खेडा आगे	मु0 807/- रु0	
	3. प्राथमिक पाठशाला गडसा (बांदल)	मु0 3900/- रु0	
	4. प्राथमिक पाठशाला बान्दल	मु0 260/- रु0	
	कुल ..	5032/- रु0	

शिमला-9, 5 अक्तूबर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0 (5) 190/2003-14243-48.—यह कि उपायुक्त, शिमला द्वारा आपको प्रधान, ग्राम पंचायत कटलाह, विकास खण्ड रोहड़ू, जिला शिमला के पद से ग्राम पंचायत कटलाह की अवधि 4/2000 से 3/2002 तक श्री नागेन्द्र वर्मा, जिला अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला द्वारा किये गये विशेष अंकेक्षण के दौरान मनमाने ढंग से पंचायत को विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि/पंचायत निधि व जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की क्रमशः 2,37,151/- तथा 69,000/- कुल मु0 3,06,151/- रुपये की धनराशि बतौर पेशगी लेकर अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के दोषी पाये जाने के आरोप में पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (10) 162/87-1963-69, दिनांक 12 मई, 2003 द्वारा निलम्बित किया गया था ।

यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 190/2003-21823-827, दिनांक 1 नवम्बर, 2003 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

जांच अधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय से प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने के उपरान्त पाया गया कि :—

क्रम सं0	निर्माण कार्य का नाम अथवा प्रयोजन	प्रधान द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि	कार्य की प्रगति अथवा स्थिति
1.	किसान भवन मेलठी हेतु	40,000/- रु0	कार्य नहीं किया गया ।
2.	कार्यालय व्यय हेतु	5,000/- रु0 मार्च 01 6,000/- रु0 12-11-01	राशि का हिसाब पंचायत को नहीं दिया ।
3.	मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	8,151/- रु0 मार्च, 2001	-यथो-
4.	पंचायत घर कटलाह की मुरम्मत हेतु	50,000/- रु0 मार्च, 01	कार्य नहीं किया गया ।
5.	निर्माणाधीन महिला मण्डल कुपडी निर्माणाधीन महिला मण्डल कलगांव प्राथमिक पाठशाला कलगांव	8,000/- रु0 14-3-01 8,000/- रु0 14-3-01 15,000/- रु0 14-3-01	कार्य नहीं किया गया ।
6.	नि0 म0 म0 मेलठी, कुपडी, कलगांव मुरम्मत रा0 उ0 पा0 मेलठी	17,640/- रु0 21-3-01 9,360/- रु0 21-3-01	कार्य नहीं किया गया ।
7.	रा0 व0 मा0 पा0 मेलठी के भवन निर्माण	10,000/- रु0 अप्रैल, 01	कार्य नहीं किया गया ।
8.	ब0 मा0 पा0 मेलठी भवन 4 कमरों का निर्माण	60,000/- रु0 3-5-01	कार्य नहीं किया गया ।
9.	रास्तों के निर्माण/मुरम्मत हेतु	25,000/- रु0 फरवरी, 01 15,000/- रु0 मार्च, 01	कार्य नहीं किया गया ।
10.	मुरम्मत रास्ता कलगांव हेतु	10,000/- रु0 3-4-01	कार्य नहीं किया गया ।
11.	निर्माण वास्तु देवता की थाणी (प्रांगण) हेतु	19,000/- रु0 दिसम्बर, 01	कार्य नहीं किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त जांच अधिकारी ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं तथा आपत्तिजनक कार्यकलाप भी जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उजागर किया है । जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं0	प्रस्ताव का विवरण	बैंक से निकासी की गई राशि	जिस प्रयोजनार्थ निकासी की गई	निकासी की गई राशि का उपयोग
1	2	3	4	5
1.	प्रस्ताव संख्या-2 से 4 दिनांक 23-1-2001	मु0 40,000/- रु0 मु0 25,000/- रु0	रास्ता निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु ।	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।

1	2	3	4	5
2.	प्रस्ताव संख्य-2 व 3 दिनांक 24-2-2001	मु0 15,000/- रु0 मु0 16,551/- रु0	निर्माण रास्ता हेतु । वेतन चौकीदार 2400 रु0 वर्दी चौकीदार 1000 रु0 वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता 1/01 से 3/2002 8151 रु0 का0 प्रबन्धन 5000 रु0 16,551 रु0	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।
3.	प्रस्ताव संख्या-7, 8 तथा 10 दिनांक 6-3-2001	1. मु0 50,000/- रु0 2. मु0 31,000/- रु0 3. मु0 27,000/- रु0	1. मु0 पंचायत घर 2. मुरम्मत प्राथमिक पाठशाला कलगांव । 3. निर्माण रास्ता महिला मण्डल कुपड़ी, कलगांव मुरम्मत हेतु ।	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।
4.	प्रस्ताव संख्या-6 से 8 दिनांक 24-3-2001	1. मु0 15,000/- रु0 2. मु0 10,000/- रु0 3. मु0 10,000/- रु0	1. निर्माण रास्ता हेतु 2. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मेलठी निर्माण हेतु । 3. मुरम्म खच्चर रास्ता की अदायगी ।	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।

जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट का सरकार द्वारा विचार करने के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि आप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (बी) के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से दोषी हैं ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप द्वारा बर्ती गई उपरोक्त वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य-कलाप के फलस्वरूप क्यों न आपको प्रधान पद से निष्कासित किया जाये ।

अतः आगामी कार्रवाई करने से पूर्व सुअवसर दिया जाकर आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अनुलग्नक जांच रिपोर्ट ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित